

31/1/14



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

पत्रावली पैरा-2 की तदनुसार (उपस्थान) के अन्तर्गत -
 उपर्युक्त पत्र प्रस्तुत कर कायम किया है प्रश्नगत शर्तों में
 90 B की कार्यवाही न्यायाभिमता (उपस्थान) द्वारा करियोग
 के द्वारा (न्यायाभिमता) द्वारा प्रश्नगत शर्त का न्यायाभिमता
 द्वारा होकर सम्पूर्ण खाना पुनर्स्थापित राहत के न्यायाभिमता -
 (उपस्थान) के द्वारा कर किया जा सकता है और उप
 कार्यवाही गली की जाती है।
 बाद में कम्पे कार्यवाही करियोग गली क्षेत्र
 में खाली ज किया जाना है पत्रावली के तहत सुधार
 होकर नगर के कायम क्षेत्र कायम पक्षर हो

उपस्थान अधिकारी
 एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कलकत्ता (नागौर)